



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय)

भारत सरकार

निविदा फार्म

निविदाकार का नाम :-

निविदाकार का पता :-

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि :- 20.03.2024 दोपहर 03:00 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 20.03.2024 दोपहर 03:30 बजे तक

फर्म का पंजीयन संख्या :-

पैन कार्ड क्र./जी.एस.टी. क्र. :-

बयाना राशि :- रु.1,20,000/- बैंक ड्राफ्ट नं
दिनांक जारीकर्ता बैंक

निविदाफार्म

(माल की मात्रा एवं विशिष्ट विवरण)

अवधि 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक

क्र.	आयटम एवं विशिष्ट विवरण (दालें)	अनुमानित वार्षिक मांग	दर (अंकों में)	दर (शब्दों में)
01	02	03	04	05
1	दाल तुअर	7000 कि.ग्रा.		
2	मलका मसूर	8000 कि.ग्रा.		
3	दाल धुली मूंग	1000 कि.ग्रा.		
4	दाल उड़द धुली	300 कि.ग्रा.		
5	मूंग छिलका	500 कि.ग्रा.		
6	दाल चना सूखी	600 कि.ग्रा.		
7	राजमा चित्रा	1200 कि.ग्रा.		
8	छोले बड़ा दाना	2000 कि.ग्रा.		
9	देशी चना	4000 कि.ग्रा.		
10	उड़द साबुत	200 कि.ग्रा.		
11	उड़द छिलका	500 कि.ग्रा.		
12	मूंग साबुत	1200 कि.ग्रा.		

नोट:-

- निर्माता द्वारा सीलबंद माल ही स्वीकार किया जायेगा।
- कॉलम 4 व 5 निविदाकार द्वारा भरा जाना चाहिये।
- निविदा भरते समय दरे स्पष्ट लिखी जाना चाहिये। दरो में डिस्काउन्ट आदि दर्शाए जाने पर निविदा अमान्य की जावेगी।
- निविदा में दिये जाने वाली दरें, जी.एस.टी. अथवा अन्य कर सहित होगी।
- निविदा के साथ नमूने प्रस्तुत किये जावे, नमूने प्रस्तुत न करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय)

भारत सरकार

//घोषणा//

मैं / हम इस फार्म के कॉलम 4 एवं 5 में उपरोक्तानुसार भरी गई दरों पर निविदा प्रस्तुत करता हूँ / है। यदि यह निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं / हम / मेरे / हमारे द्वारा निविदा शर्तों के आधार पर माल सप्लाई करने का बचन देता हूँ / हैं।

मेरे / हमारे द्वारा संस्थान की मांग पर सप्लाई करने की असमर्थता की दशा में हमारे द्वारा जमा की गई बयाना राशि / सुरक्षा निधि जप्त किये जाने हेतु तैयार हूँ / हैं।

दिनांक:-

(हस्ताक्षर निविदाकार)

नाम:-

फर्म का नाम:-

फर्म का पता:-

फोन नं.:-



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय)

भारत सरकार

निविदा शर्तें

- 1- निविदा प्रपत्र संस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, जिसका कोई शुल्क देय नहीं है।
- 2- बयाना राशि रुपये 1,20,000/- का बैंक ड्राफ्ट जो कि कुलसचिव, ल.रा.शा.शि. संस्थान, ग्वालियर के पक्ष में देय हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- 3- निविदा जिस लिफाफे में भरकर प्रस्तुत करें उसके बांयी और कोने पर निविदा दालें प्रदाय के लिये लिखा होना चाहिये तथा निविदाकार का पता भी दर्शाया जाना चाहिये।
- 4- निविदा में दर्शाई गई वस्तुओं की मात्राएँ केवल अनुमानित है तथा यह मात्रा 20 प्रतिशत घटाई या बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिये निविदाकार किसी भी क्षतिपूर्ति का पात्र नहीं होगा।
- 5- निविदा स्वीकृति हेतु निविदा प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन तक निविदा अभिलेख कुलसचिव कार्यालय में खुले रहेंगे।
- 6- निविदा में दर्शाई गई सभी वस्तुओं को संस्थान के भोजनालय स्टोर तक निविदाकार द्वारा स्वयं के खर्च पर पहुंचाना होगा।
- 7- माल प्रदाय करते समय डिलेवरी चालान प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिना चालान के माल स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 8- सामग्री की आपूर्ति मांगकर्ता अधिकारी की मांग के अनुसार की जावेगी। किसी भी प्रकार का उल्लंघन करना अनुबंध को भंग करना माना जावेगा तथा जितने माल की मात्रा की मांग की जायेगी उतना ही पूरा माल एकमुश्त संस्थान के भोजनालय के भण्डार में प्रदाय करना होगा। आपूर्ति की गई किसी भी वस्तु के वनज में कमी को आपूर्ति न करना माना जायेगा तथा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अनुबंध की शर्तों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।
- 9- सफल निविदाकार को सामग्री की अनुमानित मात्रा के मूल्य का 10 प्रतिशत की निष्पादन सुरक्षा निविदा स्वीकृति की दिनांक से 10 दिन के अंदर जमा करना होगा। निष्पादन सुरक्षा सावधि जमा रशीद (एफ.डी.आर.) के रूप में भी जमा की जा सकती है। निष्पादन सुरक्षा संतोषप्रद आपूर्ति के पश्चात् ही वापिस की जायेगी। अनुबंधी की शर्त का उल्लंघन करने पर निष्पादन सुरक्षा को जप्त कर लिया जायेगा एवं उक्त हेतु किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
- 10- संस्थान के कुलपति/कुलसचिव किसी एक अथवा सभी निविदाओं को निरस्त करने या किसी भी निविदा की संपूर्ण अथवा कुछ भाग को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत किये जाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- 11- शर्तों के साथ प्रस्तुत की जाने वाली निविदायें मान्य नहीं की जायेगी।
- 12- सफल निविदाकार को 100/- रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पर अनुबंध के विधिवत पालन करने के लिये अनुबंध करना होगा। बिना अनुबंध किये व सुरक्षानिधि जमा कराये बिना निविदाकार का काम संस्थान में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 13- माल की राशियाँ भण्डारगृह पर सुबह 09.00 बजे से 12.00 बजे तक एवं शाम को 03.00 बजे से 05.00 बजे तक ही स्वीकार की जायेगी।



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय)

भारत सरकार

- 14- माल की सप्लाई बगैर तौल एवं सूची / डिलीवरी चालन के स्वीकार नहीं की जायेगी तथा माल की निविदाकार या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष तौल की जायेगी जो निविदाकार को मान्य होगी।
- 15- निविदाकार द्वारा माल प्रदाय करने हेतु किसी भी एक व्यक्ति को नामांकित करना होगा तथा उसका नाम कार्यालय में दर्ज कराना आवश्यक होगा।
- 16- ठेकेदार माल प्रदाय करने का मासिक बिल अपने छपे हुये बिल फार्म ;अर्थात् फर्म का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर जी.एस.टी. नंबर आदि सहितछ दो प्रतियों में भुगतान हेतु माह समाप्त होने के 7 दिवस के अंदर कार्यालय में जमा करने होंगे।
- 17- निविदा दिनांक 20.03.2024 को समय 03:00 बजे अपरान्ह तक संस्थान के भोजनालय कार्यालय में उपलब्ध निविदा बॉक्स में डाला जाना सुनिश्चित करें। उक्त समय के पश्चात् कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा खुलने का समय उसी दिन दोपहर 03:00 बजे अपरान्ह है, उक्त दिनांक को कोई शासकीय अवकाश या किसी अन्य कार्यावश कार्यालय बंद रहने की स्थिति में दूसरे दिन उसी समय पर निविदा खोली जावेगी।
- 18- बिल की राशि पर आयकर, उक्त एवं सेवा कर एवं शासन द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य कर नियमानुसार काटे जायेंगे।
- 19- स्वीकृत निविदा की संपूर्ण औपचारिकताएँ पूर्ण होने के पश्चात् ही सफल निविदाकार को प्रदाय आदेश जारी किया जावेगा। निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर भारतीय मध्यस्थ अधिनियम के अंतर्गत कुलपति के द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के द्वारा निराकरण किया जावेगा तथा उभय पक्षों पर मध्यस्थ के द्वारा पारित अवार्ड बाध्यकारी होगा एवं उसके विरुद्ध कोई भी पक्ष किसी भी न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने हेतु नहीं जावेगा।
- 20- निविदा प्रपत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है:-
 - (1) पेनकार्ड एवं जी.एस.टी. पंजीयन की छायाप्रति।
 - (2) फर्म का विगत 3 वर्षों का आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि।
 - (3) फर्म का संबंधित खाद्य सामग्री का खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम (FSSAI) के अंतर्गत पंजीयन/लाइसेंस की प्रतिलिपि संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

उपरोक्त दस्तावेजों की मूलप्रति मांगे जाने पर सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगी। गलत जानकारी/दस्तावेज पाये जाने पर बयाना (ई.एम.डी.) राशि जप्तकर अन्य प्रशासकीय कार्यवही की जावेगी।


28/02/24
कुलसचिव